क़िस्त-1

उसूले दीन

आयतुल्लाहिलउज़्मा सैय्यिदुलउलमा सै० अली नक़ी नक़वी ताबा सराह

परिचय

इस्लाम धर्म का विकास उस काल में हुआ जबकि संसार की समस्त जातियाँ उपास्यों की अधिकता पर गर्व करती थीं। पवित्र पैग़म्बरे इस्लाम एवं उनके परिवार वालों ने संसार को एक अल्लाह (ईश्वर) की उपासना करने का उपदेश दिया। यह उपदेश इस ढंग से दिया कि आज संसार के सभी धर्म किसी न किसी रूप में ईश्वर के मानने का दावा करते हैं।

यह पत्रिका (मज़मून) इस्लामिक दृष्टिकोण से एक ईश्वर के विषय में ज्ञान देती है तथा ब्रह्म की इकाई पर तर्क किया गया है। यह मज़मून इस्लाम धर्म के सिद्धान्तों के प्रकाशन माला की प्रथम कड़ी है।

वे सभी लोग जो इस्लाम धर्म से रूचि रखते हैं अपने अमूल्य मतों से हमारी सहायता कर सकते हैं तथा निवेदन है कि अपनी मित्र मंडली में हमारे प्रकाशनों का प्रचार कर हमें कृतज्ञ होने का अवसर प्रदान करें।

आपका- आबिद तबातबाई

आनरेरी सेक्रेट्री, इमामिया मिशन, लखनऊ

तौहीद

सम्पूर्ण विश्व को बिना किसी का सहयोग लिये उत्नन्न करने वाले को उसकी महिमा सहित मानने का नाम तौहीद है।

एक समय वह था जब संसार उपास्यों की अधिक्ता पर गर्व करता था परन्तु इस्लाम सदा से विश्व को उत्पन्न करने वाले ईश्वर की इकाई का प्रचार करता आया है तथा इस्लाम के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा[स०] ने इस शक्ति तथा विश्वास के साथ ब्रह्म की इकाई का प्रचार इस ढंग से किया कि आज संसार के सभी धर्म किसी न किसी रूप से यह दावा करते हैं कि ईश्वर एक है, अकेला है और संयोग रहित है। किन्तु जिस तौहीद की शिक्षा मुहम्मद रसूलुल्लाह[स०] के सच्चे उत्तराधिकारियों ने दी है वही वास्तविक तौहीद उसी वास्तविक इस्लाम के साथ संलग्न है।

जन्म दाता का अस्तित्व

जिस प्रकार प्रत्येक कला अपने कलाकार का, प्रत्येक पुस्तक अपने रचयिता का तथा प्रत्येक इमारत अपने निर्माता का परिचय देती है, ठीक उसी प्रकार विश्व का प्रत्येक कण इस बात की गवाही दे रहा है कि उसका कोई जन्म दाता अवश्य ही है।

इस कथन को एक समान्य कोटि की बुद्धि वाला बालक तथा एक साधारण ज्ञान रखने वाला अनपढ़ भी अपनी भाषा में समझ सकता है, तथा इसी को एक दर्शन शास्त का ज्ञाता दर्शनिक सिद्धान्तों के द्वारा सिद्ध कर सकता है। जो प्रायः साधारण लोगों के लिए एक गूढ़ समस्या प्रतीत होने लगती है, किन्तु बात यही एक है कि न तो कोई कर्म बिना कर्ता के और न कोई कला बिना कलाकार के जन्म ले सकती है। अतएव इतना विशाल विश्व बिना किसी सृष्टिकर्ता के जन्म नहीं पा सकता।

जन्मदाता की सत्ता

''हम'' और हमारी ''सत्ता'' दो भिन्न संज्ञाएँ हैं। उस सत्ता के योग से हम सजीव हैं अन्यथा उससे रहित निर्जीव। अर्थात हमारी ''आस्था'' सत्ता के संयोग पर

निर्भर है। अतः हमें अपने को सास्ति बनाने के लिए सत्ता उत्पन्न करने वाले की आवश्यकता है। संसार न था और हुआ। यदि हुआ तो किसी ने उसे जन्म दिया। अब यदि विश्व को जन्म देने वाला भी हमारी ही तरह हुआ तो वह और उसका व्यक्तित्व दोनों भिन्न-भिन्न हुए। इस प्रकार वह भी अपने सास्ति के लिए दूसरे के अधीन तथा आश्रित हुआ। अतः वह भी इस सम्भाव्य जगत का एक अंश हो जाएगा। इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि वह विश्व को जन्म देने वाला नहीं हो सकेगा।

वह समस्त विश्व के चराचर का जन्मदाता है अगर हम उसे अपने ही समान मान लें तो वह भी हमारे ही समान नश्वर होगा अगर जन्म दाता नश्वर हुआ तो उसके द्वारा सृष्टि रचना और पालन का कोई प्रश्न नहीं उठता। अतएव यह मानना पड़ेगा कि वह अविनाशी है, अनादि तथा अतन्त है। दार्शनिक सिद्धान्त के अनुसार विश्व को रूप देने वाले का होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त समस्त संसार को सम्भाव्य कहते हैं। सम्भाव्य वस्तुएं अपने उत्पन्न होने के लिए एक जन्मदाता के अधीन हैं, और जन्मदाता का होना अनिवार्य है। अतः वह निर्विवाद रूप से अपनी उत्पत्ति के लिए किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं है।

(अस्त्यार्थक एवम् निषेधार्थक)

स्मरण रखना चाहिये कि जितनी बुराईयाँ जितने दोष तथा जितने अवगुण होते हैं वे सब नास्ति से सम्बन्धित हैं। हम में नास्ति सम्भव है, अतः हम ने अवगुणों का होना सम्भव है। 'सत्ता' हमारी अपनी नहीं। यही हम में सबसे बड़ा अभाव है। जिससे अनेक अवगुण उत्तपन्न होते हैं। हमारी सत्ता का स्तर जितना उच्च होता है उतने ही अधिक गुण हममें उत्तनन्न होते हैं। ब्रह्म सम्पूर्ण रूप से सत्ता ही सत्ता है इसलिये वह गुणों से भिन्न नहीं हैं। वह निष्कलंक, निर्दोश एवं सर्वगुण सम्पन्न है।

(जारी)

शेष... इसलाम और इंसानी हुक़ूक़

फ़ौजियों और जंग में हिस्सा लेने वाले अवाम के हुक़ूक़ की बात कही गई, जिसमें सख़्ती से ये बात कहीं गई कि किसी जंगी क़ैदी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई जाएगी, किसी ज़ख़्मी को क़त्ल नहीं किया जाएगा और निहत्ते अवाम पर हमला नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने देखा कि जिन बातों तक दुनिया आज पहुँची है, उन हुक़ूक़ का लेहाज़ इस्लाम ने 14 सौ साल पहले ही रखा है और उन सभी हुक़ूक़ का बयान आज की दुनिया में सिर्फ़ काग़ज़ पर है, जबकि इस्लामी रहबरों ने चौदह सौ साल पहले इन पर अमल करके दिखाया है। 1949ई० में जिनेवा में लगातार 4 कन्वेन्शन हुए, जिनमें से हर कन्वेन्शन में पिछली ग़लतियों को दूर किया गया और कुछ नई बातों को बढ़ाया गया। इसके बाद भी 2005ई० तक और बातें बढ़ाई गईं जो प्रोटोकोल-प्रथम, द्वितीय और तृतीय के नाम से मशहूर हैं, लेकिन इसके बाद भी आज की तरक़्क़ी की हुई दुनिया उन जंग के आदाब तक नहीं पहुँच सकी जो इस्लाम ने बनाए हैं, न उस रहम और करम का दर्जा हासिल कर सकी कि जिस तक इस्लामी क़ानूनों की पहुँच है, जिसका एक सुबूत क़बील-ए-ख़ुज़ैमा का वाक़िआ है। मक्का की जीत के बाद रसूले अकरमस० ने ख़ालिद बिन वलीद की सरदारी में एक फ़ौज क़बील-ए-ख़ुज़ैमा की तरफ़ भेजी ताकि उन्हें इस्लाम की दावत दें, लेकिन जंग करने की इजाज़त नहीं दी थी। जब ख़ालिद बिन वलीद उनके इलाक़े में पहुँचे तो वह लोग हथियार लेकर सामने आ गए। ख़ालिद ने उन्हें पनाह देने का वादा किया, लेकिन जब उन्होंने अपने हथियार फेंक दिये तो उनका क़त्ले आम कर दिया। जैसे ही रसूले अकरमस० को इसकी ख़बर मिली आपस० ने आसमान की तरफ़ अपने हाथ उठाए और कहा: ''ऐ अल्लाह में ख़ालिद के इस काम से बराअत का इज़हार करता हूँ'' (अल-कामिल फ़ित्तारीख़, जि-2 पेज-182) इसके बाद हज़रत अलीअ० को कुछ रक़म देकर भेजा कि उनमें जो बचे हुए हैं उन्हें राज़ी करें। हज़रत अलीअ० ने सबके खून का बदला अदा किया। जितना उनका नुक़सान हुआ था वह सब पूरा किया। जिन बर्तनों में जानवर खाते थे यहाँ तक कि अगर कुत्तों के खाने के बर्तन जंग के बीच टूटे थे उनकी क़ीमत भी अदा की और ये सुनकर आज की तरक़्क़ी करने वाला दिमाग़ भी हैरान रह जाएगा चूँकि औरतें और बच्चे डरे हुए थे, इसलिए उन्हें भी मुआवज़ा (Compensation) दिया गया। ये दिमाग़ी तकलीफ़ का बिल्कुल नया ख़याल है जिस पर आज से चौदह सौ साल पहले इस्लाम ने अमल किया है। (बशुक्रिया रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (उर्दू), 11 मार्च 2011ई०)

(जारी)